

राज्य असेसमेंट विभाग
जोधपुर

अपील अन्वयेत धारा 223 राजस्थान कायदेकापी
अधिनियम 1955 राजस्थान अधिनियम कलेक्टर
बाहेर जिल्हाधिकारी 31 अक्टोबर 2014 राजस्व वाद
संख्या 73/2009 भीमराज व अन्य वगैरे राजस्व कलेक्टर

--- स्टेपीडिग्स ---

1. भीमराज पुत्र श्री इकमराज
2. आर्दराज पुत्र श्री इकमराज
3. जैराम पुत्र श्री इकमराज
4. हीराम पुत्र श्री इकमराज जाति जाट, निवासी-वाम लोडवा हरिदासीवा, तहसील निवासीवाण-वाम लोडवा हरिदासीवा, तहसील शरणा, जिला जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार वरिधे अधिकाारी तहसीलदार बाहेर, जिला जोधपुर।
6. राजेंद्राज पुत्र श्री बावाराज
7. माराज पुत्र श्री बावाराज
8. टीकराज पुत्र श्री बावाराज
9. उल्लासिंह पुत्र श्री आभासिंह
10. तख्तसिंह पुत्र श्री आभासिंह जातिवाण राजपूत, निवासीवाण-वाम लोडवा हरिदासीवा, तहसील शरणा, जिला जोधपुर।
11. मोहनसिंह पुत्र श्री कर्णाराज
12. राजेंद्राज पुत्र श्री कर्णाराज
13. किशोराज पुत्र श्री कर्णाराज जातिवाण तिखोई, निवासीवाण-वाम लोडवा हरिदासीवा, तहसील शरणा, जिला जोधपुर।



म

न

ब

--- अपीलवाट ---

न्यायालय राजस्व अपील याचिकापी, जोधपुर
पीठाधीन अधिकाारी श्री नखतदाल बरहठ, आर.ए.एस.
2020-00175 RAAjodhpur2020-81RTA23 Naruram Vs Bhomaram etc
राजस्थान पुत्र श्री बावाराज जाति जाट, निवासी-वाम लोडवा शरणा,
तहसील बाहेर, जिला जोधपुर।

राज्य अधीन प्रशासकीय
कार्य
आदेश

128.18 बीघा, खसरा नं. 532 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 533
दार की सामग्री खानेदारी की भीम खसरा नं. 281/1 रकबा
आदेश का पेश किया कि वादीवग एवं प्रतिवादीवग संख्या एक से
कारखानेकारी अधिनियम का अधिनियम न्यायालय के समक्ष इस
संख्या एक से दार ले एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान
संशोधन में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रूपी.



की छूट प्रदान किये जाने का निर्देश किया गया।
प्रस्तुत कर डिफेंस की प्रमाणित प्रति लिए प्रस्तुत किये जाने
की प्रमाणित प्रति के अभाव में अधील एवं रजिस्टर करने वाले
प्रस्तुत किये गए। एक अन्य प्रमाण पत्र बाबत प्रशासिक डिफेंस
अधिनियम अधील प्रस्तुत में हुई देरी को माफ किये जाने हेतु
अधील के साथ एक प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्याद

223 के तहत दिनांक 13 जून 2020 को पेश की गयी है।
होना के समक्ष राजस्थान कारखानेकारी अधिनियम, 1955 की धारा
अन्य बगल राजस्थान इत्यादि के विभाग आगे अधील अदालत
दिनांक 31 अक्टूबर 2014 राजस्थान वाद संख्या 73/2009 भीमराज
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेश्वर निपुण
दिनांक : 11 अक्टूबर, 2021

निर्णय

उपस्थित -
श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता अधीन
श्री भीमप्रकाश राठी, अधिवक्ता संख्या 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता संख्या 05

--- 0 ---

राजस्थान प्रशासनिक सेवा
नौकर

रकबा 11 बिस्वा, रासरा नं. 534/1 रकबा 61 बीघा 04 बिस्वा,
रासरा नं. 536 रकबा 96 बीघा 19 बिस्वा कुल रासरा 5 कुल रकबा
288 बीघा सरहद भीगा रासरा, पटवार क्षेत्र लौंडा अचलावा,
तहसील शंवाह वदमान तहसील देयू तथा रासरा नं. 630 रकबा
37 बीघा गाम लौंडा में स्थित है। उक्त विवादावरत आराजी में
वादी संख्या एक का 1/4, वादी संख्या दो व तीन का संयुक्त
रूप से 1/4 हिस्सा, वादी संख्या चार का 1/4 हिस्सा जित्त है।
वादीवण एवं प्रतिवादीवण संख्या एक से छः की संयुक्त खातेदारी
की कृषि भूमि वाके गाम लौंडा तहसील शंवाह
वदमान तहसील देयू के खेत रासरा नं. 403 रकबा 138 बीघा 12
बिस्वा आडू डूडू है। उपर्यक्त भूमि में वादीवण एवं प्रतिवादी संख्या
एक से चार का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा बतवा है तथा प्रतिवादी
संख्या 05 व 06 का 1/3 हिस्सा बतवा है। उपर्यक्त खातेदारी की
भूमि पर पक्षकारान् अपने-अपने कर्ज व काश्त अर्जुसार काबिल है
तथा काश्त करते आ रहे है। उक्त रासरा नं की भूमि वादीवण एवं
प्रतिवादीवण की संयुक्त कर्जा काश्त की अविभाजित भूमि है,
जिसका पक्षकारों के मध्य बाडू बिट्टस एण्ड बाडूडस के बटवाडा नही
हुआ है, यानि उपर्यक्त रासरा नं की भूमि पक्षकारान् की
अविभाजित संयुक्त कर्ज काश्त की भूमि है। वादीवण द्वारा
प्रतिवादीवण संख्या एक से छः की समझौदा की कि वे अपने
हिस्से से अष्टक भूमि पर कर्जा करने का प्रयास नही करे व इस
अविभाजित भूमि का बाडू बिट्टस एण्ड बाडूडस बटवाडा करावा ले,
लिकन प्रतिवादी संख्या एक से छः इस हेतु तैयार नही हुए, ऐसी
स्थिति में वादीवण को वाद प्रसूत करना पडा। भूमि के पर
भौतिक बटवाडे अर्जुसार वादीवण की दायिया एवं टांके बने हुए है



वहस सौजी गयी। अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय को
दोहराते हुए कथन किया कि आलोच्य जिला एवं प्राथमिक डिप्टी
जिला क्लर्क 31.10.2014 पूर्व विधि, विधिक प्रक्रिया के प्रावधानों तथा
प्रक्रिया पर उपलब्ध रिपोर्ट के विपरीत पारित की गई है जो
विपरीत किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय
द्वारा प्राथमिक डिप्टी अधीनस्थ न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय में पारित की गई
है। न्याय का सुव्यवस्थित सिद्धांत यह कहना है कि यदि प्राथमिक
डिप्टी यदि किसी प्रकार की अधीनस्थ न्यायालय में जारी की गई है तो
कमिश्नर द्वारा सौकी निरीक्षण से पूर्व तथा अंतिम डिप्टी पर
आपत्तियां आभाषित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई
का अवसर प्रदान करने हेतु न्यायालय पूर्व: नोटिस जारी करे,
किंतु उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिप्टी



तथा वादीवगु वक्त सेलमेट से अपन हिस्से पर काबिज चले आ
में व प्रतिवादीवगु के विरुद्ध जारी करने का निवेदन किया।
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दल रजिस्टर किया जाकर
प्रतिवादीवगु को नरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या
एक से चार की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बकाबतनामा
प्रस्तुत किया। प्रतिवादीवगु की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये
जाने पर दिनांक 17.06.2011 को उक्तका जवाब बंद कर दिया गया।
वादीवगु की ओर से दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये तथा जवाब पेश
किये गये। प्रतिवादीवगु की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर
उक्त विरुद्ध एकपक्षीय कथनवाही अमान में लाई जाकर दिनांक 31
अक्टूबर 2014 को अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक डिप्टी एवं जिला पारित
किया गया, जिसके विरुद्ध आलोच्य अधीन प्रस्तुत की गई।

राज अणु अभियानि
राज अणु अभियानि
राज अणु अभियानि

जारी होने के पश्चात एव कम्प्लेन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात
अंतिम डिफेंस रिपोर्ट करने से पूर्व अपीलार्थी व रैस्पॉन्डेंट सरल्य छः
से आठ को सूचनाई का विधिवत् अवसर प्रदान किया ही नहीं।
सीका रिपोर्ट कार्रकारों के कब्जे अग्रजप तैयार ही नहीं की गई।
अपीलरस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीन निर्णय एवं डिफेंस जारी
करने से पूर्व रैकड पर आये साक्ष्यों का विधिपूर्ण ढंग से विवेचन
नहीं किया गया। यहाँ पर अन्तर्गत धारा 05 स्याद अधिनियम
पर अपीलार्थी के अधिवक्ता के कथन है कि अपीलरस्थ न्यायालय
द्वारा अपीलार्थी को सूचनाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना
अपीलार्थीन प्राथमिक डिफेंस एवं निर्णय पारित किया गया है। जब
पदवारी हल्का के समक्ष डा आशय की सूचना पहुँची कि अंतिम
डिफेंस के अन्वयार राजस्व रेकड में अमल-दस्तावेजों की जावे, तब
पदवारी हल्का के द्वारा अपीलार्थी को न्यायालय के निर्णय व डिफेंस
की जानकारी प्रदान की गई तथा कहा कि यद्यथा नं. 281/1 में से
रकबा 08 बीघा अंश पर से आपका कब्जा हटा लेने पर्याप्त उपाय
अंश आपके बट व हिस्से में नहीं है। अपीलार्थी को न्यायालय
द्वारा पारित अपीलार्थीन निर्णय एवं डिफेंस की जानकारी तब
अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलरस्थ न्यायालय
द्वारा निर्णित प्रकरण की नकल दिनांक 06.07.2020 को प्राप्त होने
द्वारा वास्तविक जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलार्थी को उक्त निर्णय
एवं डिफेंस की जानकारी नहीं थी। जानकारी की तारीख से
निर्धारित स्याद अवधि में अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है।
न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2014 के साथ डिफेंस



गणेश अर्जित निवेश
विकास

M.C.

जाते।

है। अतः अपीलाटस के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करना
में हुए विवरण का कोई समर्थित एवं विधिबद्ध कारण नहीं बताया
निर्णय एवं इसकी पारित की है। अपीलाटस द्वारा अपील प्रस्तुत
वादीवश एवं प्रतिवादीवश के लिखित विरुद्ध अज्ञान ही प्राथमिक
अपीलाटस न्यायालय द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत नमावंदी में
उत्तरदाता के आधार पर विधिबद्ध निर्णय पारित किया है।
उपस्थित हुए। अपीलाटस न्यायालय द्वारा पारित पर उपलब्ध
समाक्ष न तो स्वयं उपस्थित हुआ तथा न ही उनके अधिवक्ता
किया गया। अपीलाटस बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय के
उत्तरी और से अधिवक्ता श्री पारसमल सोनी को भी नियुक्त
न्यायालय द्वारा अपीलाटस को नरिये सम्मान तबल किया गया तथा
अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया अपीलाटस
जवाब में विरुद्ध अधिवक्तावश से-पाइंट्स ने अपीलाटस के



पूरा: अपीलाटस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाते।

प्रकरण सभी पक्षकारों को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु
इसकी दिनांक 31 अक्टूबर 2014 को अग्रस्त किया जाते तथा
अपीलाटस गुणावश पर स्वीकार की जाकर अपीलाटस निर्णय एवं
अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाते तथा अपील
कराते। अतः अपीलाटस के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि
प्रमाणित प्रति की बाधना से छूट प्रदान किये जाने का आदेश
है। अतः पारित पर स्वीकार किया जाकर इसकी पूर्ण की
प्रति निर्णय के साथ श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत करने में असमर्थ
उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलाटस के द्वारा इसकी पूर्ण प्रमाणित

विद्वान् राजकीय अधिवक्ता लै यकरुण के लक्ष्मी एवं

परिस्थितियों के अत्युच्च विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का

निवेदन किया।

उत्तरप्रदेशकराज के अधिवक्ताजगण की उपरोक्त बहस पर

वाञ्छीरदापूर्वक मजल किया गया एवं पत्रावलिभयो पर उपलब्ध

अभिज्ञेय का आधीपान्त अद्ययन किया गया। अधीनस्थ

न्यायालय की पत्रावलि के अदालीकन के मूलाधिक अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2014 को निर्णय पारित करते

समय डिक्की पर्चा जारी किये जाने के आदेश पारित नही किये

जाने से अधीनट डिक्की पर्चा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही कर

सक। न्याय दिन में पत्रावलि पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्की पर्चा

की प्रमाणित प्रतिप्रति प्रस्तुत किये जाने की छूट प्रदान की जाती

है।



अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावलि पर उपलब्ध अभिज्ञेय

नमाबंदी संवतः 2072-75 गाम रामसर पटवार क्षेत्र लोडवा

अचलावदा नदसील बालेसर पी-35 क्रमांक 3295 दिनांक 13.01.2019

एवं नमाबंदी संवतः 2072-75 गाम लोडवा हरिदरसीत पटवार क्षेत्र

लोडवा अचलावदा नदसील बालेसर पी-35 क्रमांक 3296 दिनांक 13.

01.2019 के मूलाधिक विवादयस्त आराजी का दर्ज हिस्से अज्ञेय ही

खातेदर धारित किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय

डिक्की से अधीनटस के एक-हिस्से में कोई फरदल नही किया

गया। अधीनट का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये सम्मन तलब

किये जाने एवं उस पर सत्यक तमील उपरित न ली वह स्वयं

विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है एवं न ही उनके

अधिपक्ता उपस्थित हुए। अधीनट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय

जयपुर
जयपुर जिला न्यायालय
2020-00175 RAAjodhpur2020-81RTA23 Naruram Vs Bhomaram etc

11/11/2021
 नरनादल वरुव
 राजरव अपील पाशिकारी, कोलपुर



जिण्ड आन र्गले न्यायालय में सुनया गया।
 रखा जाता। तदनुसार डिफेंडेंट की पत्नी को।
 संख्या 73/2009 श्रीमति अन्ना वल्लभ राजूराम इत्यादि को यथावत
 बालेंसर जिण्ड एवं डिफेंडेंट की 31 अक्टूबर 2014 राजरव बाद
 तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपरान्त अधीकारि
 अधीनस्थ न्याय बालेंड एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है।
 उपरोक्त विवेक एवं विवेकण के आधार पर अधीन
 है, जिसमें कोई तदनुषंग किया जाना उचित नहीं है।
 अदालत द्वारा की गयी में समर्थन किया जाने योग्य पायी जाती
 बतलाया गया। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ जिण्ड एवं डिफेंडेंट
 की तथा देरी का कोई विवेकण एवं संतोषजनक कारण नहीं
 डिफेंडेंट एवं जिण्ड पारित होने के लक्षण 6 वर्ष बाद अधीन प्रस्ताव

